पंचायत समिति ऊना, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-04-2022 से 31-03-2024

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH - HC - (5) C (15) LAD/ 2006 - 12669, दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति ऊना, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत समिति ऊना में निम्नलिखित मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष व सचिव कार्यरत रहे:-

कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री रमनवीर चौहान	01.04.2022 से 22.02.2023
2	श्री किशोरी लाल वर्मा	23.02.2023 से 31.03.2024

अध्यक्ष:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री जसपाल सिंह	अध्यक्ष	1.04.2022 से 31.03.2024

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	दीपक जोशी	सचिव	1.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

पंचायत समिति, ऊना के लेखाओं अवधि 1.04.2022 से 31.03.2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5 (क)	पंचायत समिति दुकान किराया के रूप में लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8.66
2	6	अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	480.83

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

पंचायत समिति ऊना के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की सत्यापनार्थ उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2015 से 31.03.2019 :-

1	पैरा – 4 (ख)(i)	निर्णीत	बैंक समाधान प्रविष्टियों का रोकड़ बही में इन्द्राज करने की पुष्टि उपरान्त
2	पैरा – 4 (ख)(ii)	निर्णीत	बैंक समाधान प्रविष्टियों का रोकड़ बही में इन्द्राज करने की पुष्टि उपरान्त
3	पैरा – 4 (ग)(i)	निर्णीत	अधिक उठाए गये आरंभिक शेष ₹15100 को कम करने की पुष्टि उपरान्त
4	पैरा – 4 (ग)(ii)	निर्णीत	कम उठाए गये आरंभिक शेष ₹900 को बढाने करने की पुष्टि उपरान्त
5	पैरा – 4 (ग)(iii)	निर्णीत	कम उठाए गये आरंभिक शेष ₹19072 को बढाने करने की पुष्टि उपरान्त
6	पैरा – 4 (ग)(iv)	निर्णीत	अधिक उठाए गये आरंभिक शेष ₹5768 को कम करने की पुष्टि उपरान्त
7	पैरा – 4 (ग)(v)	निर्णीत	अधिक उठाए गये अन्तिम शेष ₹80 को कम करने की पुष्टि उपरान्त
8	पैरा – 4 (घ)	निर्णीत	अधिक व्यय दर्शाई गई राशि ₹200 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करने की पुष्टि उपरान्त
9	पैरा – 4 (ङ)	निर्णीत	अधिक दर्ज अनुदान राशि ₹3000 को घटाने की पुष्टि उपरान्त

10	पैरा – 4 (च)	निर्णीत	अधिक दर्ज आय ₹7000 को घटाने की पुष्टि उपरान्त
11	पैरा – 4 (छ)	निर्णीत	बैंक द्वारा क्रेडिट ब्याज ₹92673 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करने की पुष्टि उपरान्त
12	पैरा – 4 (ज)	निर्णीत	कम उठाए गये अन्तिम शेष ₹500 को बढाने की पुष्टि उपरान्त
13	पैरा – 4 (झ)	निर्णीत	बैंक प्रभार ₹181 को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज करने की पुष्टि उपरान्त
14	पैरा – 4 (ञ	निर्णीत	अनुदान राशि ₹40000 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करने की पुष्टि उपरान्त
15	पैरा – 4 (ट)	निर्णीत	कम दर्ज आय ₹2 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करने की पुष्टि उपरान्त
16	पैरा – 4 (ठ)	निर्णीत	निरस्त आर० टी० जी० एस० ₹3321 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करने की पुष्टि उपरान्त
17	पैरा – 4 (ड)	अनिर्णीत	
18	पैरा – 7	अनिर्णीत	
19	पैरा – 8	अनिर्णीत	
20	पैरा– 9	अनिर्णीत	
21	पैरा– 10 (क)	अनिर्णीत	
22	पैरा– 10 (ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा – 11	अनिर्णीत	
24	पैरा – 12 (क)	अनिर्णीत	
25	पैरा – 12 (ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा – 13	अनिर्णीत	
27	पैरा – 14	अनिर्णीत	

(ii) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.04.2019 से 31.03.2022 :-

1	पैरा – 4 (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा – 4 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा – 4 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा – 4 (घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा – 4 (ङ)	अनिर्णीत	
6	पैरा – 4 (च)	अनिर्णीत	
7	पैरा – 4 (छ)	अनिर्णीत	
8	पैरा – 4 (ज)	अनिर्णीत	

9	पैरा – 5	अनिर्णीत	
10	पैरा – 6 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा – 6 (ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा – 7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 6 पर प्रारूपित
13	पैरा – 8	अनिर्णीत	
14	पैरा – 9 (क)	अनिर्णीत	
15	पैरा – 9 (ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा – 10	अनिर्णीत	
17	पैरा – 11	अनिर्णीत	
18	पैरा – 12	अनिर्णीत	
19	पैरा – 13	अनिर्णीत	
20	पैरा – 14 (क)	अनिर्णीत	
21	पैरा – 14 (ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा – 15	अनिर्णीत	
23	पैरा – 16	अनिर्णीत	
24	पैरा – 17	अनिर्णीत	
25	पैरा – 18	अनिर्णीत	
26	पैरा – 19	अनिर्णीत	
27	पैरा – 20	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

प्रारम्भिक शेष (उप पैरों सहित)	54
वर्तमान अंकेक्षण प्रारूप में लगाए गए पैरे	10
वर्तमान अंकेक्षण प्रारूप में निर्णित पैरे (उप पैरों सहित)	17
अन्तशेष (उप पैरों सहित)	47

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

पंचायत समिति ऊना, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखाओं का अंकेक्षण श्री राज कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 17.05.2024 से 21.05.2024 तक पंचायत समिति ऊना में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

आय:- 8/22 व 3/24

व्यय:- 12/22 व 7/23

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख व सूचना/ अभिलेख प्रदान न करने के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

पंचायत समिति ऊना, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आँका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 223 दिनांक 20.04.2024 द्वारा सचिव, पंचायत समिति ऊना से अनुरोध किया गया। जिसकी अनुपालना में सचिव, पंचायत समिति, ऊना द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के. सी. सी. बी. ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या 311602 दिनांक 20.05.2024 के अंतर्गत निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 **वित्तीय स्थिति:-**

पंचायत समिति, ऊना द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना व प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर पंचायत समिति ऊना के अवधि 1.04.2022 से 31.03.2024 तक स्वयं स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(क) **स्वयं स्त्रोत व छठे वित्तायोग अनुदान निधि :-** पंचायत समिति ऊना की अवधि 1.04.2022 से 31.03.2024 तक स्वयं स्त्रोत व छठे वित्तायोग अनुदान निधि की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – 'क'** पर भी दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	2501977	76755746	252836	79510559	66759262	12751297
2023-24	12751297	53192538	480224	66424059	52923951	13500108
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष						**13500108**

दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही में दर्ज किया गया अन्तिम शेष	**12938912**
अन्तर	**561196**
अन्तर का कारण :- दिनांक 31.03.22 के अन्तिम शेष ₹2501977 की जगह दिनांक 1.04.2022 को आरंभिक शेष ₹1940781 दर्ज करने के कारण ₹561196 का कम शेष उठाया गया था।	

अन्तिम शेष का विवरण :-

दिनांक 31.03.2024 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा शेष राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	33094600000477	एस० बैंक ऊना	12383333
2	2013012377	के० सी० सी० बी० ऊना	438389
3	50100279250383	एच० डी० एफ० सी० ऊना	117819
		योग	**12939541**

(i) अन्तर :-

दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	**₹13500108**
दिनांक 31.03.24 को विभिन्न बैंकों में जमा शेष राशि	**₹12939541**
अन्तर (13500108-12939541)	**₹560567**

अन्तर का कारण :-

(i) दिनांक 31.03.22 के अन्तिम शेष ₹2501977 की जगह दिनांक 1.04.2022 को आरंभिक शेष ₹1940781 दर्ज करके कम शेष उठाना	561196
(ii) दिनांक 1.07.22 को एच० डी० एफ० सी० बैंक के बचत खाता संख्या 50100279250383 में क्रेडिट दिए गये ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	(-) 629
योग	**₹560567**

(ख) तेहरवां वित्तायोग अनुदान निधि:- पंचायत समिति ऊना की अवधि 1.04.2022 से 31.03.2024 तक तेहरवां वित्तायोग अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – 'क-1'** पर भी दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	**आरंभिक शेष (₹)**	**आय (₹)**	**ब्याज (₹)**	**कुल योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	7206410	10079081	926196	18211687	10496809	7714878
2023-24	7714878	0	413360	8128238	2710002	5418236

अन्तिम शेष का विवरण :-

दिनांक 31.03.2024 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा शेष राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**खाता संख्या**	**बैंक का नाम**	**राशि (₹)**
1	50100093890002	एच० डी० एफ० सी० ऊना	332122.00
2	33094600000524	एस० बैंक ऊना	5086114.00
		योग	**₹5418236.00**

(ग) जिला परिषद अनुदान निधि:- पंचायत समिति ऊना की अवधि 1.04.2022 से 31.03.2024 तक जिला परिषद अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – 'क-2'** पर भी दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	**आरंभिक शेष (₹)**	**आय (₹)**	**ब्याज (₹)**	**कुल योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	11983567	8309445	479892	20772904	7023220	13749684
2023-24	13749684	4069050	358215	18176949	4932164	13244785

अन्तिम शेष का विवरण :-

दिनांक 31.03.2024 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा शेष राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**खाता संख्या**	**बैंक का नाम**	**राशि (₹)**
1	50100308220777	एच० डी० एफ० सी० ऊना	12797479
2	1899104000021990	आई० डी० बी० आई० ऊना	447306
		योग	**₹13244785**

(घ) पन्द्रवें वित्तायोग अनुदान निधि :- पंचायत समिति ऊना की अवधि 1.04.2022 से 31.03.2024 तक पन्द्रवें वित्तायोग अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – 'क-3'** पर भी दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	**आरंभिक शेष (₹)**	**आय (₹)**	**ब्याज (₹)**	**कुल योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	10257403	15126179	0.00	25383582	4344892	21038690
2023-24	21038690	2779055	0.00	23817745	7898080	15919665

अन्तिम शेष का विवरण :-

दिनांक 31.03.2024 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा शेष राशि :-

क्रम संख्या	**खाता संख्या**	**बैंक का नाम**	**राशि (₹)**
1	50100308163255	एच० डी० एफ० सी० ऊना	**16954012**
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष			**15919665.00**

दिनांक 31.03.24 को बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष	**16954012**
अन्तर	**1034347.00**

(i) बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष				**15919665**
जमा :-	बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया ब्याज जिसका लेखांकन रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया			1051822
	1	1.04.22	121643	
	2	1.07.22	84901	
	3	1.10.22	102832	
	4	1.01.23	131667	
	5	1.04.23	150605	
	6	1.07.23	170275	
	7	1.10.23	145113	
	8	1.01.24	144786	
		योग	**1051822**	
घटाव:-	दिनांक 19.11.22 को कमल लाइट एंड टेंट हाउस को डेबिट की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया			17475
दिनांक 31.03.24 को बैंक के अनुसार अन्तिम शेष				**₹16954012**

(नोट:- गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पन्द्रवें वित्तायोग अनुदान की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण को प्रदान नहीं की गई थी।)

(ङ) आरंभिक शेष कम दर्ज करना ₹561196:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वयं स्त्रोत व छठा वित्तायोग अनुदान निधि की रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2022 के अन्तिम शेष ₹2501977 की जगह दिनांक 1.04.2022 को आरम्भिक

शेष के रूप में ₹1940781 दर्ज की गई थी। फलस्वरूप दिनांक 1.04.2022 को ₹561196 (₹2501977 -1940781) कम आरम्भिक शेष उठाया गया था। उक्त कम शेष दर्ज करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -225 दिनांक 20.05.2024 के अंतर्गत सचिव पंचायत समिति ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, पंचायत समिति ऊना के पत्र संख्या- 6837 दिनांक 21.05.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि आरंभिक शेष अंतर के रूप में ₹561196 की जांच की जा रही है। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः वास्तविक आरंभिक शेष की जगह कम शेष दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम दर्ज किए गये आरंभिक शेष को रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को दर्ज किया जाए।

(च) ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही के आय पक्ष में न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वयं स्त्रोत व छठे वित्तायोग अनुदान व पन्द्रवें वित्तायोग अनुदान के बचत खातों में बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान किए गये ब्याज का रोकड़ बहियों में इन्द्राज नहीं किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	बचत खाता संख्या	बैंक का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	स्वयं स्त्रोत व छठे वित्तायोग अनुदान	50100279250383	एच० डी० एफ० सी० ऊना	1.07.22	**629**
2	पन्द्रवें वित्तायोग अनुदान	50100308163255	एच० डी० एफ० सी० ऊना	1.04.22	121643
				1.07.22	84901
				1.10.22	102832
				1.01.23	131667
				1.04.23	150605
				1.07.23	170275
				1.10.23	145113
				1.01.24	144786
				योग	**1051822**
क्रम संख्या (1) व (2) का कुल योग (629+1051822)					**1052451**

अतः उपरोक्त उल्लेखित बैंक द्वारा प्रदान किए गये ब्याज का रोकड़ बहियों में लेखांकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त ब्याज का लेखांकन रोकड़ बहियों के आय पक्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(छ) व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के व्यय पक्ष में न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पन्द्रवें वित्तायोग अनुदान के एच० डी० एफ० सी० बैंक ऊना बचत खाता संख्या 50100308163255 से दिनांक 19.11.22 को कमल लाइट एंड टेंट हाउस ऊना को ₹17475 की राशि डेबिट की गई थी, लेकिन उक्त भुगतान की गई राशि का लेखांकन रोकड़ बही के व्यय पक्ष में नहीं किया गया था। अतः उक्त भुगतान को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में लेखांकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त भुगतान का लेखांकन रोकड़ बही के व्यय पक्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ज) बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 (10) के अनुसार पंचायत समिति की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत समिति ऊना के लेखाओं के अवलोकन में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही थी लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है। लेकिन पंचायत समिति द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की गई थी। अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

(झ) खाता - क व खाता – ख का रख-रखाव अलग-अलग न रखना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम (4) के अनुसार स्वयं स्त्रोत व अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का लेखा-जोखा खाता-क व खाता-ख में अलग- अलग से किया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति ऊना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वयं स्त्रोत व छठे वित्तायोग अनुदान का खाता – क व खाता- ख अलग-अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि सयुंक्त रोकड़

बही लगाई गई थी जोकि नियमों के विपरीत है। अतः इस सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता – क व खाता- ख का अलग-अलग संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 (क) दुकान किराया ₹8.66 लाख की वसूली शेष:-

सचिव पंचायत समिति ऊना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक दुकान किराया निम्न विवरणानुसार ₹865715 वसूली हेतु शेष था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – 'ख'** पर दिया गया है। उक्त दुकान किराये के रूप में वसूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234 दिनांक 21.05.2024 के अन्तर्गत सचिव, पंचायत समिति, ऊना के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, पंचायत समिति ऊना के पत्र संख्या - 6837 दिनांक 21.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि दुकान किराया की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अत: प्रत्युत्तर अनुसार दुकान किराया की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2022-23	684890	200580	885470	120230	765240
2	2023-24	765240	200580	965820	100105	865715

(ख) दुकान किराया रजिस्टर का विधिवत रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान किराया की वसूली हेतु रजिस्टर विधिवत्त तैयार नहीं किया गया था। उक्त रजिस्टर में वर्ष के आरम्भ में वसूली हेतु शेष राशि, प्रति माह किराया, वर्ष के दौरान वसूली योग्य किराया राशि, वर्ष के दौरान किराये के रूप में वसूली गई राशि व वर्ष के अंत में किराये के रूप में वसूली हेतु शेष राशि का विवरण उल्लेखित नहीं किया गया था। केवल किराये के रूप में वसूली गई राशि ही उल्लेखित की गई थी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233 दिनांक 21.05.2024 के अन्तर्गत सचिव, पंचायत समिति, ऊना के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, पंचायत समिति ऊना के पत्र संख्या - 6837 दिनांक 21.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि दुकान किराया रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया

जायेगा। अतः प्रतियुत्तर अनुसार दुकान किराया रजिस्टर विधिवत्त तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) किराये पर दी गई दुकानों के मासिक किराये में नियमानुसार वृद्धि न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति ऊना द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक किराये पर दी गई दुकानों के दुकानदारों के किराये में 10% की बढौत्तरी नहीं की गई थी। जबकि हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण (संशोधित) नियम, 2009 के नियम 5(2) के अनुसार "Notwithstanding anything contained in law for the time being in force or in any contract, a landlord shall, in addition to the increase in rent provided in this Act, be entitled to increase the rent of a building or land at the rate of ten percent (10%) of the standard rent or the agreed rent, as the case may be, every three years". अतः दुकानदारों के किराये में हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण (संशोधित) नियम, 2009 के नियम 5(2) में विहित प्रावधानों के अनुरूप हर तीन वर्ष उपरांत किराये में 10% की बढौत्तरी की जानी अनिवार्य थी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 235 दिनांक 21.05.2024 द्वारा सचिव, पंचायत समिति, ऊना के द्वारा ध्यानार्थ लाया गया प्रतियुत्तर में सचिव, पंचायत समिति ऊना द्वारा पत्र संख्या - 6837 दिनांक 21.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायलय में पंचायत समिति की दुकानों का केस विचाराधीन होने के कारण दुकानों के मासिक किराये में वृद्धि नहीं की जा सकी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः पंचायत समिति की दुकानों के सभी दुकानदारों से हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण (संशोधित) नियम, 2009 के नियम 5 (2) में विहित प्रावधानों के अनुरूप हर तीन वर्ष उपरांत किराये में 10% की बढ़ौतरी करते हुए पुनः नवीनतम किराया निर्धारण करने उपरांत गत वर्षों की बकाया राशि की वसूली भी की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदानों की अनुपयुक्त राशि ₹480.83 लाख :-

सचिव पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 तक प्राप्त अनुदानों से निम्नविवरणानुसार ₹48082794 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 22 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा प्राप्त अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त उल्लेखित अनुदानों

की अनुपयुक्त राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 229 दिनांक 21.05.2024 के अन्तर्गत सचिव, पंचायत समिति, ऊना के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतियुत्तर में सचिव, पंचायत समिति ऊना के पत्र संख्या - 6837 दिनांक 21.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अनुपयुक्त अनुदान राशि के विकास कार्य चल रहे है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	**अनुदान**	**दिनांक 31.03.2024 को शेष राशि (₹)**
1	छठा वित्तायोग अनुदान	13500108.00
2	तेहरवां वित्तायोग अनुदान	5418236.00
3	जिला परिषद अनुदान	13244785.00
4	पन्द्रवां वित्तायोग अनुदान	15919665.00
	कुल योग	**48082794.00**

7 दोपहर के भोजन के रूप में अपव्यय ₹0.13 लाख :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वयं स्त्रोत व छठे वित्तायोग अनुदान की रोकड़ बही से वाउचर संख्या -37 दिनांक 14.07.23 को नटराज गेस्ट हाउस ऊना को बिल संख्या 1816 दिनांक 5.06.23 के अंतर्गत दोपहर के भोजन के रूप में निम्नलिखित भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	**विवरण**	**संख्या**	**दर (₹)**	**राशि (₹)**
1	Lunch Plate	103	290	29870
			CGST@2.5%	747
			SGST@2.5%	747
			योग	**31364**

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या PCH-HA(S)C(15)Hospatility/ZP/PS दिनांक 14.10.2013 के अंतर्गत दोपहर के भोजन (working lunch) हेतु प्रतिभागी दर ₹175 निर्धारित की गई थी। उपरोक्त पत्र के अंतर्गत दोपहर के भोजन

(working lunch) हेतु निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान /व्यय करने के कारण राशि ₹13339 (31364-18025) (103 X 175) का अपव्यय किया गया था। अतः प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व किए गये अपव्यय की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा अपव्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में अपव्यय करने से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए। कृत कार्यवाही/ अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 श्री अरुण शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के व्यक्तिगत बचत खाते में मजदूरी ₹0.58 लाख की राशि का अनियमित हस्तांतरण :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम -17 (2) के अनुसार ₹1000 से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अनिवार्य है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 44 दिनांक 15.07.23 को मुरम्मत कार्य "Repair and maintenance of panchayat samiti office allotted to B.D.O. Una (old DC office" में मस्ट्रोल संख्या – 13900 दिनांक 28.06.23 को अवधि 1.07.23 से 11.07.23 तक के दौरान 18 मजदूरों की मजदूरी ₹58389 का भुगतान सम्बन्धित मजदूरों के व्यक्तिगत खातों में जमा न करके श्री अरुण शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के व्यक्तिगत खाता संख्या 68001611684 में हस्तांतरित किया गया था जोकि नियमों के विपरीत होने के साथ-साथ उक्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 232 दिनांक 21.05.2024 द्वारा सचिव, पंचायत समिति, ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या - 6837 दिनांक 21.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि मजदूरी की राशि ₹58389 को श्री अरुण शर्मा द्वारा मजदूरों को पहले ही वितरित कर दी गई थी इस कारण यह राशि उनके खाते में डाली गई। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि उक्त प्रकरण में कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में किसी भी प्रकार के भुगतान से पूर्व उक्त नियम का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

9 ₹3.77 लाख की अग्रिम प्रदान के समायोजन वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 7/23 के दौरान 15th वित्तायोग की रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों के विरुद्ध अग्रिम राशि हस्तांतरित की गई थी। लेकिन उक्त हस्तांतरित की गई अग्रिम राशि के न तो वाउचर तैयार किए गये थे व न ही अग्रिम राशि के समायोजन वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए गये। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 227 दिनांक 20.05.2024 के अन्तर्गत सचिव, पंचायत समिति, ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। प्रतियुत्तर में सचिव, पंचायत समिति ऊना के पत्र संख्या - 6837 दिनांक 21.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अग्रिम राशि के वाउचर व अग्रिम समायोजन अन्तिम क़िस्त जारी करते समय प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अतः प्रतियुत्तर अनुसार उक्त हस्तांतरित की गई अग्रिम राशि के समायोजन वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं :-

क्रम संख्या	दिनांक	हस्तांतरित की गई अग्रिम राशि (₹)	कार्य का विवरण
1	11.07.23	10000	Transfer amount construction of rasta and underground PVC Pipeline Rakesh Kumar and Gheena Ram Final instalment GP Batuhi. FY 2021-22
2	11.07.23	17512	Transfer amount construction of drain rasta from house of Puneet Kaushal to house of Ram Kaushal final instalment GP Delhan Lower
3	11.07.23	21052	Amount transfer for Ambulance road link road of Lal Chand W.No. 4 final instalment GP Badoli
4	17.07.23	100000	Amount transfer of construction of community bathroom near shamshan ghat in GP Jankour.

5	17.07.23	15000	Amount transfer for purchasing sports material for youth GP Jhamber.
6	17.07.23	20000	Amount transfer of construction of road house of Ram Pandit to Surinder Pandit ward no -3 GP Majra
7	17.07.23	192971	Amount transfer of construction of underground pipeline Naresh Kumar Kanth to Happy Kanth GP Sanoli
	Total	**376535**	

10 राशि प्राप्ति/अनुदान की रसीदें जारी न करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 13 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति को किसी भी स्त्रोत अथवा अन्य तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिय गए प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु पंचायत समिति, ऊना के लेखों के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषतः आर.टी.जी.एस./ऑनलाइन बैकं प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई थी। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व भविष्य में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

11 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार न रखा जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत समिति, सचिव जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखेगा। परन्तु पंचायत समिति, ऊना द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक छः माह में प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति, ऊना द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14 निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायती राज अधिनियम में विहित नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जानी आवश्यक है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्रति

3130 - 3133 03 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (5) 65/2020 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना जिला ऊना हि0प्र0।

पंजीकृत 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 JUL 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्रति

पैरा संख्या - 4(क) से सन्दर्भित   परिशिष्ट - क   (23)

पंचायत समिति ऊना की स्वयं स्त्रोत व छटा वित्तायोग की वित्तीय स्थिति						
वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	2501977.00	76755746.00	252836.00	79510559.00	66759262.00	12751297.00
2023-24	12751297.00	53192538.00	480224.00	66424059.00	52923951.00	13500108.00

अन्तिम शेष का विवरण :- दिनांक 31.03.2024 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा शेष राशि

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	दिनांक 31.03.24 को अन्तिम शेष
1	33094600000477	एस० बैंक ऊना	12383333
2	2013012377	के० सी० सी० बी० ऊना	438389
3	50100279250383	एच० डी० एफ० सी० ऊना	117819
		योग	**12939541**

दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	**13500108.00**
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	**12939541.00**
अन्तर	**560567**

Secretary
Panchayat Samiti
Urn. Dev. Block Una
Distt. Una (H.P.)

पंचायत समिति ऊना की तेहरवें वित्तायोग अनुदान की वित्तीय स्थिति						
वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	7206410.00	10079081.00	926196.00	18211687.00	10496809.00	7714878.00
2023-24	7714878.00	0.00	413360.00	8128238.00	2710002.00	5418236.00

अन्तिम शेष का विवरण :- दिनांक **31.03.2024** को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा शेष राशि :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	दिनांक **31.03.24** को अन्तिम शेष
1	50100093890002	एच० डी० एफ० सी० ऊना	332122.00
2	33094600000524	एस० बैंक ऊना	5086114.00
		योग	**5418236.00**

Secretary
Panchayat Samiti
Dev. Block Una
(H.P.)

पैरा संख्या - 4 (ग) से सम्बन्धित

परिशिष्ट - 'क-2'

(28)

पंचायत समिति ऊना की जिला परिषद अनुदान की वित्तीय स्थिति						
वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	11983567.00	8309445.00	479892.00	20772904.00	7023220.00	13749684.00
2023-24	13749684.00	4069050.00	358215.00	18176949.00	4932164.00	13244785.00

अन्तिम शेष का विवरण :- दिनांक **31.03.2024** को विभिन्न बैंकों के बचत खातों के अनुसार जमा शेष राशि

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	दिनांक **31.03.24** को अन्तिम शेष
1	50100308220777	एच० डी० एफ० सी० ऊना	12797479
2	1899104000021990	आई० डी० बी० आई० ऊना	447306
		योग	**13244785.00**

Secretary
Panchayat Samiti
Una, Dev. Block
Distt. Una (H.P.)

पंचायत समिति ऊना की पन्द्रवें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति						
वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	10257403.00	15126179.00	0.00	25383582.00	4344892.00	21038690.00
2023-24	21038690.00	2779055.00	0.00	23817745.00	7898080.00	15919665.00

अन्तिम शेष का विवरण :- दिनांक 31.03.2024 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में जमा शेष राशि			
क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	दिनांक 31.03.24 को अन्तिम शेष
1	50100308163255	एच० डी० एफ० सी० ऊना	**16954012**
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष			**15919665.00**
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष			**16954012**
अन्तर			**1034347.00**

बैंक समाधान विवरणी :-				
दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष				**15919665.00**
जमा :-	बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया ब्याज जिसका लेखांकन रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया			1051822
	1	1.04.22	121643	
	2	1.07.22	84901	
	3	1.10.22	102832	
	4	1.01.23	131667	
	5	1.04.23	150605	
	6	1.07.23	170275	
	7	1.10.23	145113	
	8	1.01.24	144786	
		योग	1051822	
घटाव:-	दिनांक 19.11.22 को कमल लाइट एंड टेंट हाउस को डेबिट की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया			17475
दिनांक 31.03.24 को बैंक के अनुसार अन्तिम शेष				**16954012**

Secretary
Panchayat Samiti
Una, Dev. Block Una
Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या - 5 (क) से सम्बन्धित   परिशिष्ट - ख

Statement of Rent for the period 01/04/2022 to 31/03/2023 in r/o Panchayat Samiti Una, Distt. Una								
Sr.No.	Name of shopkeeper and his/her father Name	Shop No.	Rate per month	Outstanding Balance as on 31/03/22	Demand of rent for the period 01.04.2022 to 31.03.2023	Total	Amount of Rent received from 01/04/2022 to 31/03/2023	Outstanding Balance as on 31/03/23
1	Sh lalit Kumar S/O Hussan	1 (L)	165	-165	1980	1815	0	1815
2	Vajinder Kumar S/O Kartar Chand	2(L)	363	957	4356	5313	0	5313
3	Vijay steel works	3(L)	374	5608	4488	10096	0	10096
4	Jaswant Singh S/O Kundan Singh	4 (L)	413	-21476	4956	-16520	0	-16520
5	Ranjotdh Singh S/O Kamal Singh	5 (L)	363	10164	4356	14520	0	14520
6	Narender Bali S/O KK Bali	6 (L)	385	-1115	4620	3505	0	3505
7	Davinder Kumar S/O Durga Parshad	7 (L)	704	1374	8448	9822	2820	7002
8	Karan Chand S/O Choudhary	8 (L)	1000	12000	12000	24000	0	24000
9	Banbari Lal S/O Sh Masat Ram	9 (L)	726	13722	8712	22434	0	22434
10	Pawan Kumar S/O Pritam Chand	10 (L)	670	35510	8040	43550	0	43550
11	Ravi Kumar S/O Pyara Singh	11 (L)	462	-12474	5544	-6930	0	-6930
12	Madan Lal S/O Sh Dev Raj	12 (L)	450	450	5400	5850	8100	-2250
13	Amar Jeet Sethi S/O Sh Om Parkash	13 (L)	415	0	4980	4980	2490	2490
14	Keshav Chand S/O Shakti Chand	14 (L)	540	-3780	6480	2700	3240	-540
15	Parveen Kumar S/O Hari Kishan	15 (L)	900	900	10800	11700	16200	-4500
16	Surinder Kumar S/OTulsi Ram	16 (L)	800	3200	9600	12800	16800	-4000

17	Parveen Kumar S/O Hari Kishan	17 (L)	110	220	1320	1540	2530	-990
18	Arun Kumar Advocate	1 (U)	450	64800	5400	70200	5400	64800
19	Vajinder Kumar S/O Kartar Chand	2 (U)	575	-1130	6900	5770	0	5770
20	Avinash Chand S/O Amar	3 (U)	650	28050	7800	35850	7800	28050
21	Vijay Sharma S/O Ram Swaroop	4 (U)	800	138400	9600	148000	9600	138400
22	Dheeraj Sharma S/O JR Sharma	5 (U)	625	-625	7500	6875	0	6875
23	Naresh Kumari W/O Kuldeep Kumar	6 (U)	650	10750	7800	18550	3250	15300
24	Davinder Kumar S/O Durga Parshad	7 (U)	720	1400	8640	10040	8640	1400
25	Davinder Kumar S/O Durga Parshad	8 (U)	825	825	9900	10725	9900	825
26	Robin Sharma S/O Mahesh Sharma	9 (U)	625	102500	7500	110000	0	110000
27	Narender Bharti S/O LR Bharti	10 (U)	680	149600	8160	157760	8160	149600
28	Mohit Verma S/O KK Verma	11 (U)	625	140625	7500	148125	7500	140625
29	Jai Singh S/O Karan Singh	12 (U)	650	4600	7800	12400	7800	4600
		Total	**16715**	**684890**	**200580**	**885470**	**120230**	**765240**